



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/07/2020 186

दिनांक: 05.02.2020

सेवा में,

CPIO/Deputy/Assistant Commissioner,
CGST & Central Excise Division-E,
Vidhyadhar Nagar, Jaipur

महोदय,

विषय: - Application filed by Shri Jai Narayan Meena under Right to Information Act, 2005-regarding.

Please find enclosed herewith RTI application received from Shri Jai Narayan Meena in respect of Original Order No. 119/Dem/ST/CGST-B/2019-20 dated 30.08.2019 passed by Deputy/Assistant Commissioner CGST Divisioni-E, Jaipur.

The RTI application is being transferred to your office under Section 6(3) of RTI Act, 2005 to provide the information directly to the applecant under intimation to this office.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

- Sdr
सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:

1. Shri Jai Narayan Meena, Village/Post : Lalabas, Tehsil: Jamua Ramgarh Jaipur (Rajasthan) for further communication directly with the CPIO/Assistant Commissioner, CGST Division-E.
2. मुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर कृपया मूल पोस्टल आर्डर 41F 477605 Rs.10/- प्राप्त करें।
3. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

श्री.जी. रामगार
5/2/2020
सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,